KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

केंद्र राज्य संबंध Centre State Relations

केंद्र राज्य संबंध Centre State Relations

विधायी संबंध	प्रशासनिक संबंध	वित्तीय सम्बन्ध
Legislative Relations	Administrative Relations	Financial Relations
अनु 245 -254	अनु 255 -263	अनु 264 -300

विधायी संबंध Legislative Relations

अनु 245 - संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा। Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of its territory.

अनु 246 संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन –

Division of power between the Union and the States

यह तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) में है। यह 7 वी अनुसूची है।
It is in three lists (Union List, State List and Concurrent List). This is the 7th schedule.

1. संघ सूचि - (मूल विषय -97, वर्तमान में 100 विषय)इस पर विधि बनाने का अधिकार संघ के पास है।
   Union List - (Original subjects - 97, currently 100 subjects) Union has the right to make laws on this.

2. राज्य सूचि -(मूल विषय -66 , वर्तमान में 61 विषय)इस पर विधि बनाने का अधिकार राज्य के पास है। State List - (Original subjects - 66, currently 61 subjects) State has the right to make laws on this.

3 समवर्ती सूची-(मूल विषय -47, वर्तमान में 52 विषय)- इस पर विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। टकराव के स्थिति में संघ की विधि प्रभावी होगी। यदि राज्य द्वारा बनाई गयी विधि पर राष्ट्रपति की सहमति हो तो संघ विधि होते हुए भी राज्य विधि प्रभावी होगा।

Concurrent List - (Original subjects - 47, currently 52 subjects) - Both Union and State have the right to make laws on this. In case of conflict, Union law will prevail. If the President agrees to the law made by the State, then State law will prevail despite Union law.

→ 101वां C.A.A → 2017

अनु 246 A - यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्र या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र के पास वस्तुओं और/या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामले में जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। CGST, SGST, IGST

This article empowers the Central and State Governments to make laws with respect to GST levied by the Centre or such State. The Centre has the exclusive power to make laws with respect to GST in case of inter-state supply of goods and/or services.

लिस्ट- I: केंद्र की सूची

- रक्षा
- अंतरराष्ट्रीय संबंध
- बंदरगाह
- रेलवे
- हाइवे
- संचार

लिस्ट- II: राज्य की सूची

- सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर)
- पुलिस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)
- अस्पताल और दवाखाने
- साफ-सफाई
- खेती-किसानी

लिस्ट- III: समवर्ती सूची

- न्याय
- शिक्षा
- ट्रेड यूनियन
- वन

अनु 247 - संसद, विधि द्वारा, संघ सूची के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी।

Parliament may, by law, make provision for the establishment of additional courts for better administration of the Union List.

अनु 248 - अवशिष्ट विषय Residual Subject - ऐसा विषय जिसे संघ राज्य समवर्ती सूचि में शामिल नहीं किया गया है , उसे अवशिष्ट विषय कहते है। इस विषय पर विधि बनाने का अधिकार संघ के पास होगा। जैसे - अंतरिक्ष , परमणु नाभिकीय

A subject which is not included in the Union State Concurrent List is called a Residual Subject. The Union will have the right to make laws on this subject. For example - Space, Nuclear

निम्न चार शर्तों पर राज्य सूची का विषय होते हुए भी संघ विधि बना सकेगा –
The Union may make laws despite the subject being a subject of the State List on the following four conditions –

1. अनु 249 - यदि राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा। If Rajya Sabha passes a resolution with a two-third majority, then the Union can make a law on the subjects of the State List.
यह विधि 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। This law will remain effective for 1 year.

2. अनु 250 - राष्ट्रिय आपात काल लागु होने की स्थिति में संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा। यह विधि आपात काल हटाने की तिथि से 6 माह तक लागु रहेगा। In case of national emergency, the Union can make a law on the subjects of the State List. This law will remain effective for 6 months from the date of removal of emergency.

3. अनु 252 - जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर राज्य सूची के विषय विधि बनाने की सिफारिश संघ से करे तो संघ विधि बना सकेगा। When two or more states together recommend the Union to make a law on the subjects of the State List, then the Union can make a law.

कोई अन्य राज़्य इस विधि को लागु करना चाहे तो लागु कर सकेगा लेकिन इस विधि को हटाने का अधिकार संघ के पास होगा। If any other state wants to implement this law, it can do so but the right to remove this law will be with the Union.

4. अनु 253 - अंतर्राष्ट्रीय संधि शर्तो को पूरा करने के लिए संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा।
To fulfill the conditions of international treaty, the Union can make a law on the subjects of the State List.

प्रशासनिक संबंध Administrative Relations

अनु 256 - राज्य के द्वारा ऐसे किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जायेगा की संघ के द्वारा बनायीं गयी विधि में बधा उत्पन्न हो। (विधि में बाधा) The state will not make any such law that it hinders the law made by the Union. (Obstruction in law)

अनु 257 - राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा की संघ के द्वारा किये जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न हो। (काम में बाधा) The state will not do any such work that it hinders the work being done by the Union. (Obstruction in work)

अनु 258- संघ अपने कार्यो के लिए राज्य को निर्दिष्ट कर सकेगा। → राज्य से
The Union can specify the state for its works.

अनु 258A - राज्य अपने कार्यो के लिए संघ को निर्दिष्ट कर सकेगा। → संघ से
The state can specify the union for its works.

Art. 262 - अंतर्राज्यीय नदी दूनों के विवादों का निपटारा – Settlement of disputes over inter-state river beds -

ऐसे निपटारे के लिए संघ प्राधिकरण का गठन कर सकेगा। Union may constitute an authority for such settlement.

①नदी जल विवाद अधिनियम, 1956-नदी या नदी घाटी के उपयोग, नियंत्रण और वितरण में उत्पन्न होने वाले जल विवादों को हल करने के लिए,

River Water Disputes Act, 1956-To resolve disputes arising out of the use, control and distribution of water in a river or river valley,

②

जल बोर्ड अधिनियम, 1956 - जल आपूर्ति, सीवरेज और सीवेज निपटान और जल निकासी के कार्यों का निर्वहन करने

Water Boards Act, 1956-To discharge the functions of water supply, sewerage and sewage disposal and drainage.

अनु 263 - अंतर्राज्यीय परिषद Inter-State Council- सरकारिया आयोग की सिफारिश पर सन 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। On the recommendation of the Sarkaria Commission, the Inter-State Council was constituted by the President in 1990. पहला अध्यक्ष – VP सिंह

इसका पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री होंगे।Its ex-officio chairman will be the Prime Minister of India.

कार्य Functions - 1. राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा। Settlement of disputes between states.

2. राज्यों के विवादों की सूचना राष्ट्रपति को देना। Informing the President about disputes between states.

3. राज्यों के साझा हितो को बढ़ावा देना। . Promoting common interests of the states.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING